न्यायालय मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/पंचम अपर जिला न्यायाधीश, देहरादून।
उपस्थितः अंजली बेंजवाल, उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद संख्या–257 सन् 2022
वाद का प्रकारः–मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

1. श्री कोमल सिंह उम्र 67 वर्ष पुत्र स्व0 जीत सिंह (मृतक के दादा) 2. मा0 प्रियांशु उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब सिंह (मृतका का भाई) याची संख्या 2 नाबालिग द्वारा अपने दादा एवं प्राकृतिक संरक्षक याची संख्या 1 श्री कोमल सिंह निवासीगण– अतेन बाग जिला देहरादून।	**याचीगण**
बनाम	
1. श्री दिनेश सिंह, पुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम तनयुध, गवाणी तहसील चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल (मृतक) (स्वामी–बस संख्या यू.के.–04पी.ए./0501) 1/1– श्रीमती नीलम देवी पत्नी स्व0 दिनेश सिंह निवासी ग्राम तनयुध, गवाणी तहसील चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल (मृतक विपक्षी संख्या 1 की पत्नी एवं कानूनी वारिस) 2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि0 द्वारा रिजनल मैनेजर, रिजनल ऑफिस, अपोजिट मूयर ऑटो, राजपुर रोड़, देहरादून। (बस संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 की बीमा कंपनी)	**विपक्षीगण**
3. श्रीमती प्रभा देवी आयु 64वर्ष, पत्नी श्री कोमल सिंह, निवासी ग्राम अतेन बाग जिला देहरादून। (मृतक की दादी)	**औपचारिक विपक्षी**
याचीगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री हरिओम सिंह यादव
विपक्षी सं01/1 के विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता औपचारिक विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता	एकपक्षीय अग्रसारित श्रीमती अंजली गुंसाई। श्रीमती मधु।

वाद प्रस्तुत करने की दिनांक	दिनॉक 11.10.2022
बहस सुनने की दिनॉक	दिनॉक 21.06.2024
निर्णय की दिनांक	दिनॉक 28.06.2024

दिनॉक: 28.06.2024

अधिनिर्णय

यह मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, याची की ओर से विपक्षीगण के विरूद्व मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 164 के अंतर्गत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. सक्षेप में याचिका के कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को मृतका दिव्यांशी बस संख्या यू.के.–04पी.ए. / 0501 से अपने माता पिता के साथ लाल ढांग हरिद्वार से रिखड़ीखाल होते हुए ग्राम कण्डा तल्ला जिला पौड़ी गढ़वाल जा रहा था तो समय लगभग 06:30 पी.एम. बजे जब बस रिखड़ीखल से लगभग 5 किमी0 आगे सिमड़ी चौक के निकट पहुंची तो बस चालक द्वारा बस से अपना नियंत्रण खो दिया, फलस्वरूप बस नीचे गहरी खाई में गिर गयी। मृतका दिव्यांशी सहित अन्य यात्रियों को गम्भीर चोटें आयी। अंत में याची के द्वारा रूपये 5,00,000 बतौर क्षतिपूर्ति मय 12 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विपक्षी संख्या 2 बीमा कंपनी की ओर से प्रतिवादपत्र कागज संख्या 24B प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि याची विपक्षी संख्या 2 से कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं है। याचिका में बीमा पॉलिसी से सम्बन्धित विवरण प्रकट नहीं किया गया है। बीमा कंपनी को गलत तरीके से जोड़ा गया है। याचीकर्ता द्वारा वर्तमान कार्यवाही में आरोपित वाहन के स्वामी को आरोपित वाहन के पक्षकार के रूप में बनाया गया है। याची द्वारा यह दावा याचिका कपूटपूर्वक प्रतिकर हेतु योजित की गयी है। आरोपित चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स दुर्घटना की तिथि पर वैध नहीं है। दुर्घटना की तिथि पर बस संख्या यू.के–04पी0ए0 / 0501 का परमिट एवं फिटनैस वैध नहीं था। आरोपित वाहन दुर्घटना के समय अधिभारित था। आरोपित वाहन में यात्रियों के बैठने की क्षमता 30 थी। जबकि यह 53 यात्रियों को ले जा रहा जो कि एस.डी.एम. थलीसैण द्वारा की गयी मजिस्ट्रेटी जांच में प्रकाश में आयी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं घायल व्यक्तियों के बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित वाहन संख्या यू0के0–04पी.ए. / 0501 अधिभारित था और 53 व्यक्ति उसमें सवार थे जिसमें 34 व्यक्तियों की

दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। आरोपित वाहन स्वामी–चालक दिनेश सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना आरोपित वाहन स्वामी–चालक द्वारा वाहन के अधिभारित होने से एवं उसके द्वारा जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने कारण हुई। आरोपित वाहन में कोई दोष था जो कि चालक/स्वामी के ज्ञान में था। याची द्वारा प्रतिकर की अत्यधिक राशि मांगी गयी है जो कि परिकल्पना पर एवं आधारीनहीन तथ्यों पर आधारित है एवं अतः विपक्षी संख्या 2 प्रतिकर अदा करने का उत्तरदायी नहीं है। याचिका कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः याचिका विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व निरस्त की जाय।

4. औपचारिक विपक्षी संख्या 3 की ओर से भी प्रतिवादपत्र कागज संख्या 10B, प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में उसके पौत्री (स्व0 दिव्यांशी) की दिनांक 04.10.2022 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मुआवजे से संबधित है। उपरोक्त वाद उसके पति श्री कोमल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसे औपचारिक विपक्षी बनाया गया है।

5. न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2023 के द्वारा विपक्षी संख्या 1/1 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनांक 04.10.2022 को समय करीब 6:30 बजे पी.एम. स्थान निकट निकट सिमडी चौक रिखड़ीखाल में वाहन बस संख्या UK-04PA-0501 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे उसने उक्त वाहन से अपना नियत्रंण खो दिया और उक्त वाहन/बस गहरी खाई में गिर गयी, जिससे बस में सवार मृतका/दिव्यांशी एवं अन्य सवारियों को गम्भीर चोटें आयी, फलस्वरूप दिव्यांशी की मृत्यु हो गयी?

2. क्या उक्त वाहन बस संख्या UK-04PA-0501 को दुर्घटना के समय वैध एवं आवश्यक प्रपत्रों के साथ चलाया जा रहा था?

3. क्या दुर्घटना के समय उक्त वाहन सं0–UK-04PA-0501 अधिभार के साथ संचालित किया जा रहा था?

4. क्या याचीकर्ता प्रतिकर पाने का अधिकार रखते हैं, यदि हॉ तो उक्त दशा में कितनी धनराशि तथा किस विपक्षी से?

7. याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में याची कोमल सिंह को पी0डब्लू0 1 एवं

संदीप कुमार को पी0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उसकी ओर से सूची 7सी1 आधार कार्ड की छाया प्रति 8सी1/1 लगायत 8सी1/2 प्रस्तुत किये गये हैं।

8. विपक्षी संख्या 2 की ओर से मौखिक साक्ष्य में हिमांशु शर्मा को डी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में विपक्षी संख्या 2 की ओर से सूची 40सी1/2 इन्वेस्टीगेसन रिपोर्ट की फोटो प्रति का0सं0–40सी1/3 लगायत 40सी1/8 तथा सूची 43सी1 से मैजिस्ट्रेट/एसडीएम की रिपोर्ट की छायाप्रति तथा एवं ओ.डी./टी.पी. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

9. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध पपत्रों एवं साक्ष्य का परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

10. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 : यह वाद बिन्दु इस प्रकार विरचित किया गया है कि–*क्या दिनांक 04.10.2022 को समय करीब 6:30 बजे पी.एम. स्थान निकट निकट सिमडी चौक रिखड़ीखाल में वाहन बस संख्या UK-04PA-0501 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे उसने उक्त वाहन से अपना नियत्रंण खो दिया और उक्त वाहन/बस गहरी खाई में गिर गयी, जिससे बस में सवार मृतका/दिव्यांशी एवं अन्य सवारियों को गम्भीर चोटें आयी, फलस्वरूप दिव्यांशी की मृत्यु हो गयी?*

यह वाद बिन्दु याची के अभिवचनों पर सृजित किया गया है। अतः इसे सिद्ध करने का भार याची पर है। चूंकि वर्तमान याचिका मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164 के अंतर्गत योजित की गयी है। अतः इस मामले में केवल दुघर्टना होने के तथ्य को देखना है। चालक की तेजी एवं लापरवाही को नही देखा जाना है।

11. यहां पर सर्वप्रथम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 का उल्लेख किया जाना उचित एंव न्याय संगत प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है–

*धारा 164– **मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय**– इस अधिनियम या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हुए मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उदभूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में यथास्थिति विधिक वारिसों या पीडित को मृत्यु की दशा में पांच*

लाख रूपये या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रूपये की रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक या सिद्व करने की अपेक्षा नही की जायेगी कि मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बावत दावा किया गया है, यान के स्थायी या सम्बद्व यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बावत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जायेगी।

12. अर्थात उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत केवल दुर्घटना होने के तथ्य को देखा जाना है। इसमें चालक की तेजी या लापरवाही को नही देखा जाना है।

13. इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में याची कोमल सिंह की ओर से अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से मुख्यतः यह कथन किया है कि उसकी पौत्री दिनांक 04.10. 2022 को बस संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 के द्वारा लालढांग जिला हरिद्वार से गांव कान्डा तल्ला जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा रिखणीखाल रोड़ की ओर जा रहा था। समय लगभग 6:30 बजे निकट सिमड़ी चौक से लगभग 5 किलोमीटर आगे पहुंची तो बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर अपना नियंत्रण खो दिया और बस एक गहरी खाई में जा गिरी जिससे बस पर बैठे सवार व उसकी पौत्री के सम्पूर्ण शरीर पर गम्भीर चोटें आयी और घटना के दिन ही उसके पौत्री की मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में उसकी पौत्री का कोई दोष नहीं था। दुर्घटना बस सं0–यू.के.–04पी.ए./0501 के चालक की बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई थी।

जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि *''यह बात सही है कि मैंने दुर्घटना अपने आंखो से होते हुए नहीं देखी। मैं घर में ही था। यह बात सही है कि मैं नही बता सकता कि दर्घटना कैसे घटित हुई। मैंने किसी और के बताने के आधार पर बस के अनियन्त्रित होने की बात लिखी है। मैंने अपने पौत्री के विद्यार्थी होने का कोई प्रपत्र या प्रमाणपत्र न्यायालय में दाखिल नही किया हैं। मेरी पौत्री तीसरी कक्षा में पढती थी। मुझे दुर्घटना की सूचना किसी से फोन पर प्राप्त हुई थी। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई जो कि पत्रावली पर 24सी1/23 लगायत*

24सी1/26 तक दाखिल है जो मेरे द्वारा दर्ज नही करवाई गयी है। यह कहना गलत है कि मेरी नातनी तीसरी कक्षा की विद्यार्थी न हो।'

14. साक्षी पी0डब्लू02 संदीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 04.10.2022 को उसकी शादी थी तथा वह इण्डिगो कार से लाल ढांग से कांडा तल्ला जिला पौड़ी जा रहा था। समय लगभग 6:30 बजे सायं उसकी कार सिमड़ी बैण्ड रिखड़ीखाल रोड़ जिला पौड़ी पहुंची तो उसकी बारात में जा रही बस संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से उसकी वाली कार को ओवरटेक किया और आगे जाकर बैण्ड पर बस को गहरी खाई में गिरा दिया जिससे बस में बैठी सवारियों को गम्भीर चोटें आई औ 30–35 लगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी। यह दुर्घटना बस चालक बस चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

जिरह में इस साक्षी ने कहा कि *''दुर्घटना दिनांकित 04.10.2022 को मेरे विवाह से पहले घटित हुयी थी। दुर्घटनाग्रस्त बस को बारात के लिए मेरे भाई ने बुक करवाया था। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि दुर्घटना बस चालक की तेजी व लापरवाही से घटित हुयी थी।''*

15. दस्तावेजी साक्ष्य में याची की ओर से फोटो प्रति आधारकार्ड तथा याची की ओर से वाहन के पंजीकरण की छाया प्रति, वाहन के फिटनैस की छाया प्रति, परमिट की छाया प्रति, टैक्स की रसीद की छाया प्रति, डी0एल0 की छाया प्रति, पंचनामा की छाया प्रति, पुलिस को दी गयी सूचना की छाया प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत किये गये हैं।

16. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि इसमें शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। पंचायतनामा के अवलोकन से यह विदित है कि इसमें अंकित राय पंचान के अनुसार मृतक *दिव्यांशी* की मृत्यु का कारण बस दुर्घटना में आयी चोटों का कारण अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतका की मृत्यु का कारण उसके सिर में आयी चोटें आना दर्शित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इन्वेटीगेसन रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त दिनेश सिंह ही वाहन का चालक एवं स्वामी है और उसी को इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए उसके विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

17. इसके अतिरिक्त, विपक्षी सं0 1 दिनेश सिंह की ओर से उसके विधिक वारिसान के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी है तथा औपचारिक विपक्षी सं03 द्वारा अपना प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वाद को सड़क दुर्घटना में उसकी पौत्री दिव्यांशी की मृत्यु होने से सम्बन्धित बताया। इसके अतिरिक्त, विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से भी प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें भी विपक्षी बीमा कम्पनी ने अपने प्रतिवादपत्र में कहीं भी दुर्घटना होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है।

18. अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि प्रश्नगत दुघर्टना वाहन संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 के चालक विपक्षी दिनेश सिंह द्वारा वाहन को चलाये जाने के कारण घटित हुई है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 1 सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

19. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 :** यह वाद बिन्दु इस प्रकार है *क्या दुर्घटनाकारी वाहन बस संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 के चालक द्वारा वाहन का संचालन, वैध चालन अनुज्ञप्ति एवं अन्य समस्त वैध प्रपत्रों से किया जा रहा था।* यह वाद बिन्दु विपक्षी बीमा कम्पनी के अभिवचनों पर निर्मित किया गया है। अतः इसे सिद्व करने का भार विपक्षी बीमा कम्पनी पर है।

20. विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से अपने प्रतिवादपत्र में एक आपत्ति यह उठायी गयी है कि दुर्घटना की दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन को बिना वैध प्रपत्रों के चलाया जा रहा था और उसके चालक का लाईसेंस वैध नही था। अतः वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति एवं प्रपत्रों के चलाये जाने के कारण प्रतिकर देने का कोई उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी का नही है।

21. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी मृतक दिनेश सिंह जो कि वाहन यू.के.–04पी.ए./0501 के क्रमशः स्वामी एवं चालक है, की ओर से उसके वारिसान 1/1 श्रीमती नीलम द्वारा अपना प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया।

22. विपक्षी संख्या 2 की ओर से सूची 40सी1 से इन्सवेस्टीगेशन रिपोर्ट दिनांकित 21.08.2023 प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से सूची 43सी1 से मैजिस्ट्रेट/एसडीएम की रिपोर्ट की छायाप्रति तथा एवं ओ.डी./टी.पी. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

23. इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के अनुसार वाहन संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 का पंजीकरण की तिथि 11.09.2022 है। इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के अनुसार वाहन यू.के.

–04पी.ए./0501 का बीमा दिनांक 12.02.2022 से 11.02.2023 तक की अवधि के लिए बीमित है और इसकी बीमा कम्पनी नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड है। इसी प्रकार से, इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि विपक्षी दिनेश सिंह की चालन अनुज्ञप्ति दिनांक 28.12.2020 से 27.12.2022 (TR) एवं 05. 10.2002 से 24.10.2022(NT) की अवधि के लिए वैध है और इस चालन अनुज्ञप्ति के अनुसार वह बस आदि चलाने हेतु अधिकृत था। इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट एवं पत्रावली पर दाखिल वाहन के परमिट की प्रति के अनुसार वाहन की परमिट वैधता 25.01.2021 से 24.01.2026 तक की है। पत्रावली पर वाहन के इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के अनुसार वाहन की फिटनेस 27.102021 से 26.10.2022 तक की अवधि की है। याचिका में दुर्घटना की तिथि दिनांक 04.10.2022 अंकित की गयी है।

24. इस प्रकार, उपरोक्त प्रपत्रों से यह पूर्णतया साबित होता है कि दुर्घटना की तिथि को दुर्घटनाकारी वाहन संख्या यू.के.–04पी.ए./0501 वैध प्रपत्रों के साथ संचालित किया जा रहा था तथा उसके चालक की चालन अनुज्ञप्ति भी वैध थी। तदानुसार वाद **बिन्दु संख्या 2** विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

25. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3:** यह वाद बिन्दु इस प्रकार विरचित किया गया है कि–*क्या दुर्घटना के समय उक्त वाहन सं0–UK-04PA-0501 अधिभार के साथ संचालित किया जा रहा था?* यह वाद बिन्दु विपक्षी बीमा कम्पनी के अभिवचनों पर निर्मित किया गया है। अतः इसे सिद्व करने का भार विपक्षी बीमा कम्पनी पर है।

विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में कथन किया गया है कि आरोपित वाहन दुर्घटना के समय अधिभारित था। आरोपित वाहन में यात्रियों के बैठने की क्षमता 30 थी। जबकि यह 53 यात्रियों को ले जा रहा जो कि एस.डी.एम. थलीसैण द्वारा की गयी मजिस्ट्रेटी जांच में प्रकाश में आयी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं घायल व्यक्तियों के बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित वाहन संख्या यू0के0–04पी.ए./0501 अधिभारित था और 53 व्यक्ति उसमें सवार थे जिसमें 34 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। आरोपित वाहन स्वामी–चालक दिनेश सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना आरोपित वाहन स्वामी–चालक द्वारा वाहन के अधिभारित होने से एवं उसके द्वारा जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने कारण हुई।

इस सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध वाहन से सम्बन्धित प्रपत्रों एवं विपक्षी सं0 2 बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत इन्वेस्टीगेसन रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 43सी1/2 का

अवलोकन किया। प्रपत्रों एवं इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपित वाहन में यात्रियों के बैठने की क्षमता 30 थी। जबकि यह 53 यात्रियों को ले जा रहा जो कि एस.डी.एम. थलीसैण द्वारा की गयी मजिस्ट्रेटी जांच में प्रकाश में आयी। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 3 सकारात्मक रूप से विपक्षी सं02 बीमा कंम्पनी के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

26. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4 : यह वाद बिन्दु इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या याचीकर्ता प्रतिकर पाने का अधिकार रखते हैं, यदि हां तो उक्त दशा में कितनी धनराशि व किस विपक्षी से?

27. यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित है। मृतका दिव्यांशी के माता–पिता की भी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। याची संख्या 2 मा0 प्रियांशु उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, मृतका का भाई है। यह याचिका मृतक के दादा याची संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त, याचिका में औपचारिक विपक्षी संख्या 3 जो कि मृतक की दादी है को भी पक्षकार बनाया गया है। याची संख्या 2 मा0 प्रियांशु उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, मृतका का भाई है,याची संख्या 2 नाबालिग द्वारा अपने दादा एवं प्राकृतिक संरक्षक याची संख्या 1 श्री कोमल सिंह द्वारा यह याचिका योजित की गयी है। याची संख्या 1 श्री कोमल सिंह भी विधिनुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधि है। इस संबंध में विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में यह अधिकरण याची व औपचारिक विपक्षी संख्या 3 को मृतक के दादा व दादी होने के नाते प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी पाता है।

28. अब यह देखना है कि याची व औपचारिक विपक्षी संख्या 3 कितनी प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है। याची की ओर से यह याचिका मोटर यान अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। जो यह प्रावधान करता है कि अधिनियम या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हुए मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उदभूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में यथा स्थिति विधिक वारिसों या पीड़ित को मृत्यु की दशा में पांच लाख रूपये या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रूपये की रकम का संदाय करने का दायी होगा।

29. अतः ऐसी स्थिति में क्योंकि याची संख्या 1 व औपचारिक विपक्षी संख्या 3 मृतका दिव्यांशी के दादा व दादी है जिनके पौत्री दिव्यांशी की कथित दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है व याची संख्या 2 मा0 प्रियांशु उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, मृतका का भाई है जिसकी बहन दिव्यांशी की कथित दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। अतः ऐसी स्थिति में क्योंकि याची संख्या 1 की पौत्री दिव्यांशी की कथित दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। अतः याचीगण एवं औपचारिक विपक्षी एकमुश्त रूप से विपक्षीगण से रूपये 5,00,000/ रूपये प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है। जहां तक प्रतिकर धनराशि किस विपक्षी से दिलायी जानी है, इस विषय पर वाद बिन्दु संख्या 2 में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाहन को चलाये जाने के कारण घटित हुई है तथा विपक्षी सं01 का वाहन दुर्घटना की अवधि में विपक्षी सं02 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिकर दिये जाने का दायित्व विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी का है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र संख्या 44सी1/2 मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 04.10.2022 को तहसील बीरोंखाल मोटर मार्ग पर तिगडी के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या यूके04पीए– 0501 बस में 53 व्यक्ति सवार थे जिसमें से 34 व्यक्ति मृत एवं 19 व्यक्ति घायल पाये गये। वाहन की कुल क्षमता 30 व्यक्ति की थी। अतः उपरोक्त बस यूके04पीए– 0501 बस ओवरलोडिड थी। विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्योंकि उपरोक्त बस दुर्घटना के समय ओवर लोडिड थी और उसके द्वारा परमिट की शर्तो का उल्घन किया गया इसलिए बीमा कम्पनी प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

30. In **National Insurance Co. Ltd vs Anjana Shyam & Ors** on 20 August, 2007,It was held by Hon'ble apex court that where persons more than the permitted capacity are carried by the driver/owner of the vehicle, the liability of the Insurance Company will be limited only to the number of passengers which the owner was authorised to carry and the said compensation can be apportioned amongst all the Claimants and the balance compensation shall be paid by the owner.

31. वर्तमान मामला जो कि इस न्यायालय के समक्ष है उसमें स्वीकारिय रूप से दुर्घटनाग्रस्त बस को 30 यात्रियों चालक सहित के परिवहन में परमिट जारी किया गया था किन्तु दुर्घटना के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उसने 53 यात्री यात्रा कर रहे थे। न्यायालय के समक्ष जो दुर्घटना से संबंधित याचिका दायर की गयी है वे 30 से कम है इसके अन्यथा भी बीमा कम्पनी की ओर से अन्य कथन इस प्रकार का नहीं किया गया है। इस मामले में तीस से अधिक प्रतिकर याचिकायें प्रस्तुत की गयी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी बनाम अंजना शाम के अनुसार याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।

32. इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था दि **यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योंरेस कम्पनी लिमिटेड बनाम दिगम्बर सिंह व अन्य 2022** में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि – यदि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ओवरलोड था और उसके द्वारा परमिट की शर्तो का उल्घन भी किया गया हो तब भी बीमा कम्पनी को प्रतिकर देना है, किन्तु बीमा कम्पनी के पास वाहन स्वामी से वसूली का अधिकार है।

33. प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी अपने दायित्व से नही बच सकती है। विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी पर सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि देने का दायित्व है। चूंकि प्रश्नगत वाहन द्वारा परमिट की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसलिए विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह कथित वाहन स्वामी एवं वाहन चालक से प्रतिकर की धनराशि की वसूली हेतु विधिनुसार वाद प्रस्तुत कर सकता है।

34. यह याचिका मोटर यान अधिनियम की धारा 164 के अन्तर्गत तद्नुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

35 प्रस्तुत मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164 के अन्तर्गत रूपये 5,00,000 प्रतिकर हेतु विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी के विरूद्व स्वीकार की जाती है।

36 विपक्षी संख्या–2 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह इस अधिनिर्णय की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रतिकर की उक्त धन. राशि मय ब्याज इस अधिकरण में जमा करें। यदि पूर्व में याचीगण एवं औपचारिक

विपक्षी संख्या 3 को कोई प्रतिकर धनराशि अदा हुई है, तो वह इस प्रतिकर धन. राशि में समायोजित की जायेगी।

37 याचीगण एवं औपचारिक विपक्षी संख्या 3 को याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान प्राप्त करने की तिथि तक 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

38 प्रतिकर की धनराशि में से मु0 1,00,000/–रू0 याची संख्या 1 श्री कोमल सिंह एवं समान रूप से मु0 1,00,000/–रू0 औपचारिक विपक्षी संख्या 3 श्रीमती प्रभा देवी को तथा शेष प्रतिकर राशि मु0 3,00,000/–रू0 याची संख्या 2 मा0 प्रियांशु पुत्र स्व0 गुलाब सिंह को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अदा की जायेगी। यह भी आदेशित किया जाता है कि याची संख्या 2 मा0 प्रियांशु के हिस्से की प्रतिकर राशि मु0 3,00,000/–रू0 उसके बालिग होने तक की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेशित की जाये।

39 विपक्षी संख्या 2 के द्वारा दो माह के भीतर प्रतिकर की राशि जमा न करने पर उन्हें दो माह उपरान्त प्रतिकर की राशि पर 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी अदा करना होगा, जो कि याची संख्या 2 को देय होगा। ***विपक्षी सं02 बीमा कम्पनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह कथित वाहन स्वामी एवं वाहन चालक से प्रतिकर की धनराशि की वसूली हेतु विधिनुसार वाद प्रस्तुत कर सकता है।**

40 पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेगें।

(अंजली बेंजवाल)
दिनॉकः 28.06.2024
मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/
पंचम अपर जिला न्यायाधीश,
देहरादून

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर उद्‌घोषित किया गया।

(अंजली बेंजवाल)
दिनॉकः 28.06.2024
मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/
पंचम अपर जिला न्यायाधीश,
देहरादून।

***दिनांक 8.7.24–u/s 151 & 152 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्णय में संशोधन किया गया।**

(अंजली बेंजवाल)
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/MACT
देहरादून

APPENDIX OF EVIDENCE

List of Plaintiff / Defendant Witness

(Annexure-1)

A. Plaintiff Witnesses.

Rank	**Name of Witness**	**Nature of Evidence** **(Witness of fact,witness, other witness)**
P.W.-1	Komal Singh	Witness of fact
P.W.-2	Sandeep Kumar	Witness of fact

B. Defendant Witnesses.

Rank	**Name of Witness**	**Nature of Evidence** **(Witness of fact,witness, other witness)**
D.W.-1	Himanshu Sharma	Witness of fact

List of Plaintiff/Defendant Wotmesses Exjonots.

(Annexure-2)

A. Plaintiff : Nil

S.L. No.	**Exhibit Number**	**Description**

B. Defendant : Nil

S.L. No.	**Exhibit Number**	**Description**